THE UTTAR PRADESH OFFICIAL LANGUAGE, 1951

[U.P. Act No. XXVI OF 1951]

(As amended by Act no. IX of 1969)

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title, Extent and Commencement.
2. Hindi to be official language of the state.
3. Use of Urdu.

THE UTTAR PRADESH OFFICIAL LANGUAGE, 1951

[U.P. Act No. XXVI OF 1951]
(As amended by Act no. IX of 1969)

(Authoritative English text of the Uttar Pradesh Raj Bhasha
Adhiniyam, 1951)

AN
ACT

to provide for adoption of Hindi as the language to be used for the official purposes and other matters of the State of Uttar Pradesh.

WHEREAS, Article 345 and clause (3) of Article 348 of the Constitution provide *inter alia* that the Legislature of a Sate may by law adopt Hindi in Devanagri script as the language to be used for official purposes of the State and for matters hereinafter appearing:

IT IS HEREBY enacted as follows:

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Official Language Act, 1951. — Short title, Extent and Commencement.
   (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
   (3) It shall come into force at once.

2. Without prejudice to the provisions of Articles 346 and 347 of the Constitution, Hindi in Devanagri script shall, with effect from such date as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint in this behalf, be the language used in respect of the following:- — Hindi to be official language of the state.

(a) (i) ordinances promulgated under Article 213 of the Constitution;

(ii) orders, rules regulations and bye-laws issued by the State Government under the Constitution of India or under any law made by Parliament or the Legislature of the State; and

(b) all or any of the official purposes of the State; and different dates may be appointed for different purposes in clauses (a) and (b) aforesaid:

Provided that the State Government may by general or special order in this behalf permit the use of International Form of Indian numerals for any official purpose of the State.

3. "In the interest of Urdu speaking people, Urdu language shall be used as second official language for such purposes as may be notified by the State Government from time to time." Use of Urdu*

* Inserted by Uttar Pradesh Act No. 28 of 1989

उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1951)

———————

(अधिनियम संख्या 9, 1969 द्वारा यथासंशोधित)

उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक 27 सितम्बर, 1951 तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद् ने दिनांक 29 सितम्बर, 1951 की बैठक में स्वीकृत किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 5 नवम्बर, 1951 ई0 की स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 12 नवम्बर, 1951 ई0 को प्रकाशित हुआ।

————————

उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय प्रयोजनों और अन्य विषयों के लिये प्रयोग के निमित्त भाषा के रूप में हिन्दी के अंगीकार के लिये व्यवस्था करने का

अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) में और विषयों के अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के राजकीय प्रयोजनों और ऐसे विषयों के लिये जो इस अधिनियम में आगे चलकर प्रकट होंगे, प्रयोग में लाने के लिये भाषा के रूप में राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा, देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीकृत कर सकता है,

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम
प्रसार और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 ई0 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

राज्य में हिन्दी का राजभाषा होना

2– संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में नियत करे, देवनागरी लिपि में हिन्दी का उपयोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में होगा:

(क) (1)संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रचारित अध्याादेश;

(2) भारत के संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, राज्य सरकार द्वारा प्रचारित आज्ञा, नियम, विनियम और उपविधि, और

(ख) राज्य के सभी या कोई राजकीय प्रयोजन,

और उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित विभिन्न प्रयोजनों के लिये भिन्न–भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते है:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, एतदर्थ साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, राज्य के किसी राजकीय प्रयोजनों के लिये भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगी।

*उर्दू का प्रयोग

3. उर्दू भाषाा भाषियों के हित में, द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग, ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये।

---

*उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1989 द्वारा अंतःस्थापित।